

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग ।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
मुक्त कारागार, बक्सर।

पटना, दिनांक ०२/०४/२०१६

विषय:- मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं०-22, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0006 मुक्त कारागार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में वेतनादि (वेतन, जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते) एवं आकस्मिक मदों में निकासी हेतु राशि रु० 83,82,000/- (तीरासी लाख बेरासी हजार रूपये मात्र) आवंटन की स्वीकृति।

(विपत्र कोड- N-2056001010006)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि० दिनांक-31.03.2016, एवं ज्ञाप संख्या-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वेतनादि (वेतन, जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते) एवं आकस्मिकता मदों में उपबधित राशि में से निम्नांकित रूप से राशि आवंटन की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र०	कुट संख्या एवं मद का नाम	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	01 01 वेतन	1045000	1045000	दस लाख पैतालीस हजार रूपये मात्र।
2	01 03 जीनव यापन भत्ता	1350000	1350000	तेरह लाख पचास हजार रूपये मात्र।
3	01 04 मकान किराया भत्ता	60000	60000	साठ हजार रूपये मात्र।
4	01 06 चिकित्सा भत्ता	20000	20000	बीस हजार रूपये मात्र।
5	01 07 अन्य भत्ता	15000	15000	पन्द्रह हजार रूपये मात्र।
6	11 01 यात्रा व्यय	20000	20000	बीस हजार रूपये मात्र।
7	13 01 कार्यालय व्यय	140000	140000	एक लाख चालीस हजार रूपये मात्र।
8	13 03 दुरभाष	10000	10000	दस हजार रूपये मात्र।
9	13 04 विद्युत प्रभार	2000000	2000000	बीस लाख रूपये मात्र।
10	13 06 वर्दी/पोषाक	30000	30000	तीस हजार रूपये मात्र।
11	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	110000	110000	एक लाख दस हजार रूपये मात्र।
12	21 02 दवा भंडार	132000	132000	एक लाख बत्तीस हजार रूपये मात्र।
13	21 03 आहार/पथ्य	1650000	1650000	सोलह लाख पचास हजार रूपये मात्र।
14	28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	1800000	1800000	अठारह लाख रूपये मात्र।
	कुल योग	8382000	8382000	तीरासी लाख बेरासी हजार रूपये मात्र।

2. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन

21/4/16

21/4/16

21/4/16

कड़िकाओं के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लें कि स्थापना मदों में केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए नियमानुसार निकासी की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष- 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष- 101 जेल, उपशीर्ष- 0006 मुक्त कारागार के तहत होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड- एन-20560010100006 एवं अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

4. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय।

5. आवंटित की जा रही राशि में से यदि वेतन एवं भत्ते मदों की किसी इकाई में अधिक या कम राशि है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्र सं० 405/वि० दिनांक 25.05.06 के आलोक में अलग-अलग उप इकाईयों के लिये राशि कर्णांकित करने के पश्चात् ही विपत्र प्रेषित करेंगे।

6. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी०भी० नं० के साथ अनिवार्य रूप से कारा निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक, १५/१६
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)03-03/16-...०६....

पटना, दिनांक ०२/०४/२०१६

प्रतिलिपि:- महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक, १५/१६
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)03-03/16-...०६....

पटना, दिनांक ०२/०४/२०१६

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक, १५/१६
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)03-03/16-...०६....

पटना, दिनांक ०२/०४/२०१६

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बक्सर/आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक, १५/१६
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।
२५/१६